राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 26.12.2015

जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,
समस्त राजस्थान।

विषयः– भामाशाह योजनान्तर्गत सीडिंग शिविरों के आयोजन बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि सभी सरकारी योजनाओं के नगद व गैर–नगद लाभ चरणबद्ध रूप से भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाने हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, राशन वितरण बी.पी.एल., पालनहार इत्यादि योजनाओं के लाभ हस्तांतरण प्रारम्भ हो चुके हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न राजकीय योजनाएं जिनके माध्यम से नकद व गैर नकद लाभ व्यक्ति विशेष/परिवार को प्रदान किये जा रहे है, के लाभ भी भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोडते हुए सीडिंग कार्य किया जाए। इस संबंध में माह जनवरी, 2016 के प्रथम सप्ताह में निम्नानुसार ग्राम पंचायत/ शहरी वार्डो में 2–3 दिवसीय सीडिंग शिविरों का आयोजन किया जाएः–

1. इन शिविरों में सभी कार्य ऑनलाइन किया जाएगा।
2. ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सेवा केन्द्र व शहरी क्षेत्रों में राजकीय भवनों इत्यादि में आयोजित किये जाएंगे।
3. विभिन्न राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, राशन वितरण, छात्रवृति, बी.पी.एल.,पालनहार इत्यादि के लाभार्थियों का शत प्रतिशत सीडिंग कार्य किया जाएगा। सीडिंग के लिए अन्य सूचनाओं के साथ राशनकार्ड सख्या तथा NFSA की पात्रता आवश्यक रूप से प्राप्त कर अंकित की जाएगी।
4. सीडिंग के लिये भामाशाह परिवार संख्या/भामाशाह नामांकन आई0डी0 का अंकन आवश्यक होगा। इस हेतू जिन परिवारों/व्यक्तियों का भामाशाह नामांकन नही हुआ है शिविरो मे भामाशाह नामांकन किया जाएगा।
5. सीडिंग शिविरों के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि राजकीय योजनाओं के सभी लाभार्थी परिवारों से सम्बंधित आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सीडिंग पूर्ण की जाए।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 26.12.2015

प्रतिलिपिः–

1 वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
3 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
4 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला............
5 उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग